# न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डा.नीलम मीणा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)निवाई द्वारा अध्यासित)

GCMS NO. :— 2021/55

दावा संख्या :— 08 / 2021

निर्णय दिनांकः—07.04.2022

1. रामानन्द पुत्र भूरालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक

—वादी

उनवान

1. मदन पुत्र टुंडा जाति कुम्हार निवासी झिलाय, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. अनोख पुत्री टुंडा जाति कुम्हार निवासी झिलाय, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. गन्दोडी पुत्री टुंडा जाति कुम्हार निवासी झिलाय, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. संतोष पुत्री टुंडा जाति कुम्हार निवासी झिलाय, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. मन्नी पत्नि टुंडा जाति कुम्हार निवासी झिलाय, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
6. बाबूलाल पुत्र रामफूल जाति कुम्हार निवासी झिलाय, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
7. प्रेम पुत्री रामफूल जाति कुम्हार निवासी झिलाय, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
8. गुलाब पत्नि रामफूल जाति कुम्हार निवासी झिलाय, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
9. प्रहलाद माता स्याणी पिता हनुमान जाति कुम्हार निवासी ग्राम द्रगपालपुरा करेडा तहसील चाकसू जिला जयपुर
10. सुरेश माता स्याणी पिता हनुमान जाति कुम्हार निवासी ग्राम द्रगपालपुरा करेडा तहसील चाकसू जिला जयपुर
11. लालराम माता स्याणी पिता हनुमान जाति कुम्हार निवासी ग्राम द्रगपालपुरा करेडा तहसील चाकसू जिला जयपुर
12. कमोती माता स्याणी पिता हनुमान जाति कुम्हार निवासी ग्राम द्रगपालपुरा करेडा तहसील चाकसू जिला जयपुर
13. तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज.
14. उपपंजीयक निवाई जिला टोंक राज.

—प्रतिवादीगण

**दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्थी इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

उपस्थितः—1. श्री रामावतार शर्मा, अधिवक्ता वादी।

2. श्री रामजीलाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

# निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के ख.नं. 2828 रकबा 07–03 बीघा ,ख.न. 3136 रकबा 05 बिस्वा, ख.नं. 3142 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 07–12 बीघा वाके ग्राम हरिपुरा तहसील निवाई जिला टोंक में है। जिस पर वादी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मालिक स्वामी काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी सख्या 6 ता 8 के पिता रामफूल पुत्र बजरंगा एवं समस्त प्रतिवादीगण द्वारा अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2019 को वादी को बेचान कर भूमि की सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा वादी को प्रदान किया था। जिसके पश्चात प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 का 1/20 प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का 1/20 प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 का 1/25 का 1/2 हक व हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि का 1/50 हक व हिस्से का वादी पूर्णतया मालिक स्वामी काबिज काश्तकार चला आ रहा है किन्तु उक्त राजस्व रिकार्ड से रहन का नोट नही हटने के कारण पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण नही खोला गया तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के पिता रामफूल पुत्र बजरंगा का स्वर्गवास हो जाने के कारण बतौर वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के नाम भूमि का नामांतकरण गलत रूप से खोल दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के पिता ने एवं अन्य समस्त प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था।

उक्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति नामांतकरण खुलवाने हेतु वादी द्वारा पटवारी हल्का को दी गई थी किन्तु उस समय राजस्व रिकार्ड से रहन का नोट नहीं हटने के कारण पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण नही खोला गया तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के पिता रामफूल पुत्र बजरंगा का स्वर्गवास हो जाने के कारण बतौर वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के नाम भूमि का नामानंतरण गलत रूप से खोल दिया गया है। ऐसी स्थिति में वाद में वर्णित ख.न. 2828 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा ख.न. 3136 रकबा 05 बिस्वा ख.न. 3142 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का झिलाय में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के 1/20 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के 1/20 एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 के 1/50 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि:–

वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि हमारे पिता द्वारा दिनांक 03.07.2019 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी के हक में बेचान कर दिया गया था। उक्त भूमि पर आज भी वादी का ही कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि में हमारा कोई हक नही है उक्त भूमि का नामांतरण हमारे हक में गलत हो गया है। उक्त भूमि को वादी के नाम लगा दी जावें इसमें हमें कोई आपत्ति नही है। हम प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है तथा भूमि का वादी को काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का वाद डिक्री फरमा दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 3.7.19 के अनुसार भूमि खसरा नं. 2828, 3136, 3142 में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 तथा प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के पिता/पति रामफूल पुत्र बजरंगा तथा प्रतिवादी सं. 9 ता 12 द्वारा अपने हिस्से का बेचान वादी को कर दिया गया था, परन्तु रामफूल

सहायक कलेक्टर
(फास्ट–ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

की मृत्यु हो जाने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के नाम दर्ज हो गया था। जिन्होने जरिए सहमति पत्र उनके पिता द्वारा भूमि वादी को विक्रय कर दिए जाने तथा उक्त भूमि का नामान्तकरण केता रामानन्द के पक्ष में खोले जाने में अपनी सहमति जताई है। साथ ही इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री किए जाने का अनुरोध किया है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी को प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के नाम दर्ज हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रिकॉड में अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 नीलम मीणा)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
निवाई

Scanned with OKEN Scanner

# न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

( डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित )

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः— 08 / 2021

निर्णय दिनांकः—07.04.2022

उनवान

रामानन्द बनाम मदन वगै0

**दावा बाबत उद्घोषणा, खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डॉ. नीलम मीणा ब हाजरी श्री रामावतार शर्मा वकील वादी व श्री रामजीलाल जाट वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दिनांक 3.7.2019 के अनुसार जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि खसरा नं. 2828, 3136, 3142 में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 तथा प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के पिता / पति एवं समस्त प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से का बेचान वादी को कर दिया गया था परन्तु रामफूल की मृत्यु हो जाने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के नाम दर्ज हो गया था। जिन्होने जरिए सहमति पत्र उनके पिता द्वारा भूमि वादी को विक्रय कर दिए जाने तथा उक्त भूमि का नामान्तकरण केता रामानन्द के पक्ष में खोले जाने में अपनी सहमति जताई है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी को प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के नाम दर्ज हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 04 सन् 2022 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner